



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 287 राँची, गुरुवार,

14 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

4 जून, 2026 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(समन्वय)

-----

संकल्प

29 मई, 2026

पत्रांक-04/म०म०स० (झा.भ.स्था.)-07/2025\_\_\_\_\_/

...

विषय:- झारखण्ड भवन, वसंत विहार, नई दिल्ली एवं न्यू झारखण्ड भवन, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली के कमरों के आवासन शुल्क के पुनरीक्षण के संबंध में।

विभागीय पत्रांक- 996, दिनांक- 09.07.2011 द्वारा झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के कमरों का आवासन शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है:-

| क्र० | कार्य की प्रकृति                  | आरक्षण शुल्क |
|------|-----------------------------------|--------------|
| 1.   | सरकारी कार्य पर                   | 20/-         |
| 2.   | सरकारी व्यक्ति निजी कार्य पर      | 200/-        |
| 3.   | गैर सरकारी व्यक्ति निजी भुगतान पर | 750/-        |

2- उक्त पत्र निर्गत हुए 15 वर्षों से अधिक अवधि व्यतीत हो चुका है। उक्त अवधि में नई दिल्ली अवस्थित अन्य राज्यों के भवनों के कमरों के आवासन शुल्क में समुचित वृद्धि की गयी है।

3- वर्तमान में झारखण्ड भवन, नई दिल्ली में कमरों का आवासन शुल्क अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, जिसके फलस्वरूप सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। फलस्वरूप आवासन शुल्क में वृद्धि आवश्यक हो गया है।

4- तदनुसार झारखण्ड भवन, वंसत विहार, नई दिल्ली एवं न्यू झारखण्ड भवन, बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली के कमरों के आरक्षण शुल्क को निम्न प्रकार पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है:-

| क्र<br>0 | महानुभावों का विवरण                                                                                                       | आवासन की<br>प्रकृति | आवासन की<br>अवधि   | प्रस्तावित शुल्क (रूपये में) (प्रति<br>दिन/प्रति कमरा)                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| i        | राज्य के माननीय मंत्रीगण/ दर्जा प्राप्त मंत्री/ राज्य मंत्री एवं उनके आप्त सचिव                                           | --                  | --                 | निःशुल्क                                                                    |
| ii       | झारखण्ड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश                                                                                 | --                  | --                 | निःशुल्क                                                                    |
| iii      | जिलों के न्यायाधीश (स्वयं)                                                                                                | सरकारी कार्य        | --                 | 100/-                                                                       |
|          | वेतन प्राप्त सरकारी सेवक (स्वयं)                                                                                          |                     |                    |                                                                             |
| iv       | जिलों के न्यायाधीश (स्वयं)                                                                                                | निजी कार्य          | 1-3 दिन            | 750/-                                                                       |
|          | वेतन प्राप्त सरकारी सेवक (स्वयं)                                                                                          |                     | 4-6 दिन            | 1000/-                                                                      |
|          |                                                                                                                           |                     | 7 दिन या उससे अधिक | 2000/-                                                                      |
| v        | माननीय विधायक/<br>पूर्व विधायक                                                                                            | --                  | --                 | 100/-<br>(विभागीय अधिसूचना संख्या-<br>936, दिनांक-<br>19.05.2015 के अनुसार) |
| vi       | उपर्युक्त क्रमांक-i से v तक में अंकित महानुभावों के निकटतम पारिवारिक सदस्य (पति- पत्नी/ आश्रित पुत्र/ पुत्री/ माता/ पिता) | निजी कार्य          | 1-3 दिन            | 750/-                                                                       |
|          |                                                                                                                           |                     | 4-6 दिन            | 1500/-                                                                      |
|          |                                                                                                                           |                     | 7 दिन या उससे अधिक | 2500/-                                                                      |

|          |                                                                                                                                                                 |            |                       |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|
| vi<br>i  | सेवा निवृत्त माननीय न्यायाधीश/<br>सेवा निवृत्त सरकारी सेवक/ पूर्व<br>सांसद एवं इनके निकटतम<br>पारिवारिक सदस्य (पति- पत्नी/<br>आश्रित पुत्र/ पुत्री/ माता/ पिता) | निजी कार्य | 1-3 दिन               | 750/-  |
|          |                                                                                                                                                                 |            | 4-6 दिन               | 1500/- |
|          |                                                                                                                                                                 |            | 7 दिन या<br>उससे अधिक | 2500/- |
| vi<br>ii | अन्य सभी व्यक्ति<br>(उपर्युक्त महानुभावों द्वारा<br>अनुशंसित सहित) निजी कार्य                                                                                   | निजी कार्य | 1-3 दिन               | 3000/- |
|          |                                                                                                                                                                 |            | 4-6 दिन               | 4000/- |
|          |                                                                                                                                                                 |            | 7 दिन या<br>उससे अधिक | 5000/- |

5- यदि कोई महानुभाव 30 (तीस) दिनों के भीतर तीन दिनों से अधिक अवधि तक आवासन करते हैं चाहे वो लगातार (Continue) हो या न हो, तो उनसे वार्षिक दर (बढ़े हुए दर अर्थात् 4-6 दिन एवं 7 से अधिक दिनों के लिए निर्धारित दर) पर आरक्षण शुल्क लिया जायेगा।

6- किसी भी महानुभाव को किसी भी परिस्थिति में 03 (तीन) से ज्यादा कमरा आवंटित नहीं किया जायेगा।

7- उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक 27.05.2026 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-18 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

8- यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(वंदना दादेल)  
अपर मुख्य सचिव

-----